राज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
10/11/22	मूलचन्द बनाम सोहनलाल वगैरह	

श्री हेमराज गुप्ता श्री योगेन्द्र सिंह

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता श्री अक्षयनाथ देवड़ा एवं श्री एन.एस.राजावत एडवोकेट उपस्थित।अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2143 माधोलाल पुत्र लाला रावत के खातेदारी की भूमि थी माधोलाल पुत्र लाला रावत ने आराजी खसरा नम्बर 2143 में से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि यानि की 2907 वर्गगज भूमि राजेन्द्र कुमार भटनागर पुत्र बिशनलाल भटनागर को दिनांक 18.05.1964 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की थी एवं भूमि का कब्जा राजेन्द्र कुमार भटनागर को सुपुर्द कर दिया था। आगे चलकर खसरा नम्बर 2143 रकबा 2907 वर्गगज भूमि में से 884 वर्गगज भूमि आम सड़क में चली गई आराजी खसरा नम्बर 2143 की शेष भूमि रकबा 2023 वर्गगज भूमि को राजेन्द्र कुमार भटनागर पुत्र बिशनलाल भटनागर ने जरिय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.08.1978 द्वारा होट अजयमेरू प्रा.लि. अजमेर मार्फत अरूण कुमार गोयल पुत्र प्रकाश चन्द्र गोयल को बेचान कर दी एवं भूमि का कब्जा होटल अजयमेरू प्रा.लि. अजमेर को सुपुर्द कर दिया। होटल अजयमेरू प्रा.लि. ने उनके द्वारा खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 2143 रकबा 2023 वर्गगज भूमि राजस्थान फाईनशियल कॉपोरेशन से ऋण लिया किन्तु ऋण अदा नहीं किय जाने पर प्रकरण में लिप्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 2143 रकबा 2023 वर्गगज भूमि को राजस्थान फाईनशियल कॉपोरेशन से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1987 द्वारा क्रय की गई है तब से ही उक्त आराजी पर प्रार्थी मानसिंह होटल एवं रिसोर्ट काबिज है एवं उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2143 कृषि भूमि नहीं है बल्कि उक्त आराजी अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ वर्ष 1964 से व उससे पूर्व से कांम में आ रही है जिस बाबत् राजस्व न्यायालय को प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2143 बाबत् प्रार्थी के पीठ पीछे किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो उसका सीध प्रभाव प्रार्थी के हक व अधिकारों पर पड़ता है विवादित आराजी खसरा नम्बर 2143 जो कि प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि में वादीगण अथवा प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी की उपस्थिति उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण करने मे अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार रेस्पोडेन्ट बनाया जाकर उपरोक्त प्रकरण को न्यायहित में निस्तारण किया जाना आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151जा.दी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी मानसिंह होटलस एण्ड रिसोर्ट लि0 को उपरोक्त प्रकरण में बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2143 रकबा 2023 वर्गगज भूमि कृषि से अकृति प्रयोजनाथ हो चुकी है। इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी मानसिंह होटलस एण्ड रिसोर्ट लि. पक्षकार नियुक्त नहीं हो सकती है।मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता द्वारा खसरा नम्बर 2143 रकबा

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

RR 208/2022/22 RTA मूलचंद पुत्र सोहनलाल वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2022/208 श्री हेमराज गुप्ता श्री योगेन्द्रसिंह	

लगातार

2023 वर्गगज जो उनके खरीदशुदा भूमि होने एवं आराजी अकृति प्रयोजनार्थ होकर मानसिंह होटलस एण्ड रिसोर्ट लि. होने के कारण पक्षकार बनने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ हो चुकी हैं। प्रार्थी ना तो दावे में पक्षकार है, ना ही अपील में पक्षकार है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के अंतिम स्थगन आदेश प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2143 रकबा 2023 वर्गगज जो उनके राजस्थान फाईनशियल कॉपोरेशन से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा भूमि है पर किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं हैं चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 2143 पर पूर्णरूप से स्थगन आदेश जारी किया है जो भी त्रुटिपूर्ण है।अतः खसरा नम्बर 2143 में से 2023 वर्गगज भूमि जो कि संपरिवर्तित होकर वर्तमान में आराजी कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ होकर होटल के रूप में उपयोग उपभोग ली जा रही है **इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर जारी अंतिम स्थगन आदेश दिनांक 25.04.2006 में से खसरा नम्बर 2143 में से 2023 वर्गगज जो कि वर्तमान में मानसिंह होटलस एण्ड रिसोर्ट लि. के उपभोग, उपयोग में ली जारी रही है को स्थगन मुक्त किया जाता है।** प्रार्थी प्रकरण में किसी प्रकार से पीड़ित एवं आवश्यक पक्षकार नहीं है प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. को खारिज किया जाता है।**

तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 13 के वारिसान की ओर से श्री तरूण सिंह रावत पुत्र चन्दूसिंह रावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 (क) सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील के एकमात्र अपीलांट मूलचन्द का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए अपीलांट के अधिवक्ता को निर्देश दिया जावे कि वह अपीलांट स्व.मूलचन्द के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करें। प्रकरण में किसी भी प्रकार की आगामी कार्यवाही किए जाने से पूर्व अपीलांट के वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किय जाने उचित आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 (क) सपठित धारा 151 जा.दी. में स्वर्गीय मूलचन्द की मृत्यु अंकित नहीं की गई है तथा किसी प्रकार का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अभिभाषक अपीलांट द्वारा कायममुकाम की कार्यवाही नहीं की गई जबकि अपील में एक मात्र अपीलांट स्वर्गीय मूल चन्द ही है। अपीलांट की कायममुकाम की कार्यवाही नहीं किये जाने से अपील अबेट हो चुकी है इसलिए अपील अबेट किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्रों व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रस्तुत प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा एकमात्र अपीलांट मूलचन्द की कायममुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है। ए.आई. आर. 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज 676 के पैरा संख्या 05 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कायम मुकाम न बनाये जाने कारण दावा स्वतः ही अबेट माना जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में भी अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक मात्र अपीलांट के कायममुकाम की कार्यवाही अपीलांट द्वारा नहीं किये जाने से अपील अबेट किया जाना उचित समझते है।

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

RR 208/2022/225 RTA मूलचंद V/s सोहनलाल वगैरह
2022/208

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री हेमराज गुप्ता श्री योगेन्द्र सिंह GA-7	
लगातार	अतः अपील अपीलांट अबेट होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर